policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village industries by providing infrastructural support, excise benefits and marketing assistance through reservation of items for exclusive production in this sector.

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

1940. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इंजीनियरी स्नातकों डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और आई०टी० आई० प्रमाण-पत्र-धारियों की क्रम-वार संख्या कितनी-कितनी है, और

(ख) सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अनुप्रयुक्त श्रम शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में अभियान्त्रिकी में उपाधि व डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की कुल संख्या क्रमशः 971 और 7538 थी । आई०टी० आई० प्रमाण-पत्र-धारकों के लिए ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं है । लेकिन 31 दिसंबर, 1991 तक उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र धारकों की कुल संख्या, जिनमें आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 136 0 हजार थी ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया है । योजना में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है । भौगोलिक रूप से तथा फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं । इससे बेरोजगार इंजीनियरों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाण-पत्र धारकों को भी रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

Extension of Existing Labour Laws to Khadi and Village Industries Sector

1941. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend the existing labour laws meant for commercial and profit-making organisations to the Khadi and Village Industries Sector also ;

(b) if so, whether Government have decided to appoint a High Powered Committee under the Chairmanship of Prime Minister to examine the various issues in this regard ;

(c) if so, by when the Committee is likely to submit its report ; and

(d) whether views of the State Governments have also been taken into consideration ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) No, Sir. There is no proposal to further extend applicability of labour laws specially to Khadi and village Industries Sector beyond present coverage.

(b) to (d) Do not arise.

बाल श्रम अधिनियम को कार्यान्वित किया जाना

1942. **श्री गोपाल सिंह जी० सोंलकी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें बाल श्रम (प्रतिषेध

और विनियमन) अधिनियम ; 1986 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन नहीं कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं ;

(घ) उपरोक्त अधिनियम का सभी राज्यों द्वारा प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 को ज्यादा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें । ऊत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों, इनमें से प्रत्येक राज्य में लगभग एक मिलियन या इससे ज्यादा कामकाजी बालक हैं, ने सफल अभियोजनों की निश्चित संख्या की रिपोर्ट नहीं दी है । कम बाल श्रमिक वाले अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है । इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों से कोई सूचना नहीं दी है और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र "शून्य" कार्रवाई की सूचना देते रहे हैं ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । पिछले श्रम मंत्री सम्मेलन में इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था । राष्ट्रीय एवं राज्य के संस्थानों के माध्यम से प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गुजरात के कृषि श्रमिकों के लिये कल्याण योजनाएं

1943. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये सरकार स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को अब तक कितना लाभ हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वियन के पश्चात् जिला स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई और कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है व सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों का बन्द होना

1944. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और वे कहां पर स्थित हैं जो बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) ये एकक कब से बन्द पड़े हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं और इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ;